Dr.Sunita Kumari,
Guest Assistant Professor,
Dept. Of Home Science,
SNSRKS College, Saharsa
BA Part-III
Dt. 25/03/2022

Q. किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं एवं किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप , वर्णन करें ?

किशोरावस्था में परिवर्तन से संबंधित दो सिद्धांत प्रचलित हैं--

1. आकस्मिक विकास का सिद्धांत

इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्टेनले हाल हैं। उनके अनुसार," किशोरावस्था के परिवर्तन का संबंध न तो शैशवावस्था से होता है तथा न बाल्यावस्था से। इस तरह किशोरावस्था एक नया जन्म कहा जा सकता है। इस अवस्था में बालक में जो परिवर्तन आते हैं, वे परिवर्तन आकस्मिक होते हैं।"

2. क्रमशः विकास का सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार," किशोरावस्था के परिवर्तन अचानक न होकर क्रमशः होते है। किंग का कथन है," जिस तरह एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के बाद होता है, लेकिन पहली ऋतु में दुसरी ऋतु के आने के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं, उसी तरह बालक की अवस्थाएं भी एक-दूसरे से संबंधित होती हैं।"

किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप

किशोरावस्था को परिवर्तनों का काल माना जाता है। किशोरावस्था मे बालक दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमेशा असाधारण कार्य करने का प्रयत्न करता है। ऐसे कार्यों मे सफलता उसे प्रोत्साहित करती है लेकिन असफल होने पर उसे अपना जीवन सारहीन लगने लगता है। इस अवस्था को चरित्र-निर्माण की नींव कहा जाता है। इसलिए बालक का जीवनोपयोगी सार्थक शिक्षा प्रदान करने की बेहद आवश्यकता होती हैं।

किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक विकास होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना बहुत ही आवश्यक होता है। पाठशाला या शाला में स्वास्थ्य की उचित देखभाल खेल-कूद, व्यायाम, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा शिविर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। किशोरावस्था में शिक्षा के स्वरूप को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया हैं--

1. शारीरिक विकास हेतु शिक्षा

किशोरावस्था में शरीर में कई क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, जिनको उचित शिक्षा प्रदान करके शरीर को सबल तथा सुडौल बनने का उत्तरदायित्व विद्यालय पर हैं। अतः उसे निम्न का आयोजन करना चाहिए--

(अ) शारीरिक तथा स्वास्थ्य-शिक्षा,

(ब) विभिन्न तरह के शारीरिक व्यायाम,

(स) सभी तरह के खेल-कूद आदि।

2. मानसिक विकास हेतु शिक्षा

किशोर की मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम तथा अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा का स्वरूप उसकी रूचियों, रूझानों, दृष्टिकोणों तथा योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। अतः उसकी शिक्षा में निम्न को स्थान दिया जाना चाहिए--

(अ) कला, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास आदि सामान्य विद्यालय-विषय,

(ब) किशोर की जिज्ञासा को संतुष्ट करने तथा उसकी निरीक्षण-शक्ति को प्रशिक्षित करने हेतु प्राकृतिक, ऐतिहासिक, आदि स्थानों का भ्रमण,

(स) उसकी रूचियों, कल्पनाओं तथा दिवास्वप्नों को साकार बनाने हेतु पयर्टन, वाद-विवाद, कविता-लेखन, साहित्यिक गोष्ठी आदि पाठ्यक्रम-सहगामी क्रियाएं।

3. संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षा

किशोर कई तरह के संवेगो में संघर्ष करता है। इन संवेगों में से कुछ उत्तम तथा कुछ निकृष्ट होते हैं। अतः शिक्षा में इस तरह के विषयों तथा पाठ्यक्रम-सहगामी, क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, जो निकृष्ट संवेगों का दमन या मार्गान्तरीकरण तथा उत्तम संवेगों का विकास करें। इस उद्देश्य से कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

4. सामाजिक संबंधों की शिक्षा

किशोर अपने समूह को बहुत महत्व देता है तथा उसमें आचार-व्यवहार की कई बातें सीखता है। अतः विद्यालय में ऐसे समूहों का संगठन किया जाना चाहिए, जिनकी सदस्यता ग्रहण करके किशोर उत्तम सामाजिक व्यवहार तथा संबंधों के पाठ सीख सके। इस दिशा में सामूहिक क्रियाएं, सामूहिक खेल तथा स्काउटिंग बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

5. व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा

किशोर में व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा आवश्यकताओं को सभी शिक्षाविद स्वीकार करते है। अतः विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिससे किशोरों की व्यक्तिगत माँगों को पूर्ण किया जा सके।

6. पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा

किशोर अपने भावी जीवन में किसी न किसी व्यवसाय में प्रवेश करने की योजना बनाता है। लेकिन वह यह नही जानता है कि कौनसा व्यवसाय उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। उसे इस बात का ज्ञान प्रदान करने हेतु

विद्यालय में कुछ व्यवसायों की प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे देश के बहुद्देश्यीय विद्यालयों में व्यावसायिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

7. जीवन-दर्शन की शिक्षा

किशोर अपने जीवन-दर्शन का निर्माण चाहता है लेकिन उचित पथ-प्रदर्शन के अभाव मे वह ऐसा करने मे असमर्थ रहता है। इस कार्य का उत्तरदायित्व विद्यालय पर हैं। इसका समर्थन करते हुए ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन ने लिखा हैं," किशोर को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोणों का विकास करने में मदद देने का महान् उत्तरदायित्व विद्यालय पर हैं।"

8. धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा

किशोर के मस्तिष्क में विरोधी विचारों में लगातार द्वंद्व होता रहता है। फलस्वरूप, वह उचित व्यवहार के संबंध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नही पहुँच पाता है। अतः उसे उदार, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि उचित तथा अनुचित में अंतर करके अपने व्यवहार को समाज के नैतिक मूल्यों के अनुकूल बना सके।

9. यौन शिक्षा

किशोर बालकों तथा बालिकाओं की अधिकांश समस्याओं का संबंध उनकी काम-प्रवृत्ति से होता है। अतः विद्यालय में यौन-शिक्षा की व्यवस्था होना बहुत जरूरी हैं।

10. बालकों तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्नता

बालकों तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में विभिन्नता होना अति आवश्यक है। इसका कारण बताते हुए बी. एन. झा ने लिखा हैं," लिंग-भेद के कारण तथा इस विचार से कि बालकों एवं बालिकाओं को भावी जीवन में समाज में विभिन्न कार्य करते हैं, दोनों के पाठ्यक्रमों में विभिन्नता होनी चाहिए।"

11. उपर्युक्त शिक्षण-विधियों का प्रयोग

किशोर में स्वयं परीक्षण, निरीक्षण, विचार तथा तर्क करने की प्रवृत्ति होती है। अतः उसे शिक्षा देने हेतु परंपरागत विधियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए किस तरह की शिक्षण-विधियाँ उपयुक्त हो सकती हैं, इस संबंध में रॉस का मत हैं," विषयों का शिक्षण व्यावहारिक ढंग से किया जाना चाहिए तथा उनका दैनिक जीवन की बातों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाना चाहिए।"

12. किशोर के प्रति वयस्क जैसा व्यवहार

किशोर को न तो बालक समझना चाहिए तथा न उसके प्रति बालक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, उसके प्रति वयस्क जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

13. किशोर के महत्व को मान्यता

किशोर मे उचित महत्व तथा उचित स्थिति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती हैं। उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसे उत्तरदायित्व के कार्य दिये जाने चाहिए। इस उद्देश्य से सामाजिक क्रियाओं, छात्र-स्वशासन तथा युवक गोष्ठियों का संगठन किया जाना चाहिए।

14. अपराध-प्रवृत्ति पर अंकुश

किशोर में अपराध करने की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण है निराशा! इस कारण को दूर करके उसकी अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता हैं। विद्यालय, उसको अपनी उपयोगिता का अनुभव कराके उसकी निराशा को कम कर सकता है तथा इस तरह उसकी अपराध-प्रवृत्ति को कम कर सकता हैं।

15. किशोर-निर्देशन

स्किनर के शब्दों में," किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नही होता है।" अतः वह स्वयं किसी बात का निर्णय नही कर पाता है तथा वह चाहता है कि कोई उसे इस कार्य में निर्देशन एवं परामर्श दे। यह उत्तरदायित्व उसके अध्यापकों तथा अभिभावकों को लेना चाहिए।